भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1143

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

सीएसआर के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण

1143. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन ढांचे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान ढांचे और प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देवरिया और बलिया जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों, जर्जर भवनों की कुल संख्या कितनी है और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की स्थिति क्या है;

(घ) कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से निगरानी तंत्र को किस हद तक प्रभावी बनाया गया है; और

(ड.) क्या सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से निजी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): 15वें वित्त आयोग के दौरान 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष]; आंगनवाड़ी अवसंरचना जिसमें

आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी भी शामिल हैं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना घटकों को 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के तहत पुनर्गठित किया गया।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं अर्थात पूरक पोषण (एसएनपी), विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है। छह सेवाओं में से तीन अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र पंजीकृत लाभार्थियों अर्थात 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा राज्यों के आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को प्रदान की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों, बुनियादी सुविधाओं, सेवा प्रदायगी आदि से जुड़ी ज़िलेवार जानकारी पोषण ट्रेकर के लिंक: https://www.poshantracker.in/statistics पर देखी जा सकती है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से लिए गए मानद कर्मचारी होती हैं जो स्थानीय समुदाय की सहायता हेतु स्वेच्छा से बच्चों की देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देने के लिए आगे आती हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। यह मानदेय समय-समय पर बढ़ाया जाता है। 1 अक्टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच तय लागत-साझाकरण अनुपात के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अलावा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी इन कर्मचारियों को अपने संसाधनों से अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन और टॉप-अप देते हैं जो कि प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होता है। साथ ही, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का कार्य निषपादन-आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

मंत्रालय ने 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के तहत तय पैमानों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की तत्समय (रियल टाइम) निगरानी और ट्रैकिंग के लिए एक महत्वपूर्ण निगरानी उपकरण के तौर पर 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल ऐप शुरू किया है। पोषण ट्रैकर ऐप की सहायता से मंत्रालय अलग-अलग पैमानों

पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और आवश्यक सुधार कर सकता है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं अर्थात आंगनवाड़ी केंद्रों का खुलना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई गतिविधियां, बच्चों की वृद्धि की निगरानी, पका हुआ गर्म भोजन और टेक-होम राशन प्रदायगी, शारीरिक वृद्धि मापन इत्यादि के संबंध में लगभग तत्समय डेटा एकत्रित करना आसान बना दिया है।

यह मिशन एक सार्वभौमिक व्यापक योजना है जहां किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण करने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई बाधा नहीं है। प्रत्येक लाभार्थी जो चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) के लिए ईकेवाईसी प्रक्रिया से गुजरने का इच्छुक है, वह योजना का लाभ प्राप्त करने का पूरी तरह से हकदार है। इस आधारकार्ड आधारित ट्रैकिंग ने लाभार्थियों की सही पहचान, लीकेज को रोकने और फर्जी प्रविष्टियों को समाप्त किया जा सका है। पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 99.88 प्रतिशत पंजीकृत लाभार्थी आधारकार्ड सत्यापित हैं। सेवा प्रदायगी की अंतिम लाभार्थी तक ट्रैकिंग के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने टेक-होम राशन (टीएचआर) की प्रदायगी के लिए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) विकसित की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत इच्छित लाभार्थी को ही दिया जाए।

लाभार्थियों को टेक-होम राशन (टीएचआर) की निर्बाध प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर में नॉमिनी मॉड्यूल भी शुरू किया गया है। यदि किसी भी कारण से, पंजीकृत लाभार्थी एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर जाने में असमर्थ है, तो वह अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से एक नामांकित व्यक्ति का चयन कर सकती है। नामांकित व्यक्ति को केवल एक बार ई-केवाईसी से गुजरना होगा, लेकिन लाभार्थी की ओर से टीएचआर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बार चेहरे का मिलान किया जाएगा। नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के बाद भी लाभार्थी यदि चाहे तो टीएचआर प्राप्त करना जारी रख सकता है। इससे लाभार्थियों का जीवन आसान हुआ है।

मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य नामक तीन मिशनों के तहत विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए संगठनों, व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स इत्यादि के साथ सहयोग के लिए पंखुड़ी पोर्टल शुरू किया है। विवरण https://pankhudi.wcd.gov.in/web/home लिंक पर उपलब्ध है।
